न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 56/2024 FSSA

1. सरकार जरिये श्री महेश कुमार सैनी
   कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।

– आवेदक–

बनाम

1. श्री अनुपम शर्मा पुत्र श्री प्रेम प्रकाश शर्मा
   मैसर्सः–श्री जी किराना स्टोर सरकारी स्कूल के सामने, मेन रोड भाण्डारेज दौसा जिला दौसा।

– अभियुक्त–

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्त स्वयं उपस्थित।

–: आदेश :– दिनांकः– 18.06.2024

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री महेश कुमार सैनी ने दिनांक 09.02.2024 को समय दोपहर 11:20 पर मैसर्स श्री जी किराना स्टोर सरकारी स्कूल के सामने, मेन रोड भाण्डारेज दौसा जिला दौसा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय मालिक श्री अनुपम शर्मा पुत्र श्री प्रेम प्रकाश शर्मा उपस्थित मिला। श्री अनुपम शर्मा ने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया। मालिक श्री अनुपम शर्मा पुत्र श्री प्रेम प्रकाश शर्मा को अपना परिचय दिया तथा परिचय पत्र दिखाकर मालिक श्री अनुपम शर्मा पुत्र श्री प्रेम प्रकाश शर्मा से खाद्य पदार्थ पंजीकरण दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य पदार्थ पंजीकरण होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय फर्म पर एक साफ सुथरे प्लास्टिक के थैले में लगभग 5 किलोग्राम खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर खुला **(RED CHILLI POWDER LOOSE)** आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। इसमे मिलावट का शक होने पर इनमें से नमूने की जांच हेतु 2 किलोग्राम खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर खुला **(RED CHILLI POWDER LOOSE)** खरीदा, जिसकी कीमत 500 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने के लिये खरीदशुदा 2 किलोग्राम खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर खुला **(RED CHILLI POWDER LOOSE)** को चार साफ सूखी एवं खाली प्लास्टिक के डिब्बों में बराबर–बराबर (500–500 ग्राम) डालकर डिब्बों को ढक्कन से बन्द कर चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को नमूनों पर चिपकाकर नमूनों को अलग–अलग एक खाकी कागज में लपेटकर नमूनों पर डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर **AG**–4109 गोंद से चिपकाकर नमूनो को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर नमूनों को चार–चार जगह से चपडी से सील मोहर कर नमूनो पर एफ.बी.ओ. विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारो सील बन्द नमूनों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं. 6 की एक प्रति व नमूने की एक सील बन्द बोतल एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं. 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बन्द बोतल व फार्म नं. 6 का सील बन्द लिफाफा [illegible] महेश कुमार सैनी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 12.02.2024 को खाद्य विश्लेषक खाद्य विश्लेषक [illegible] एवं मानक प्रयोगशाला जयपुर के यहां जमा करवाये। नमूने के दो सील बन्द बोतल व फार्म नं. 6 की दो प्रति एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 12.02.2024 को डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा को जमा [illegible]या। नमूने का चतुर्थ सील बन्द बोतल व फार्म नं. 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 12.02.2024 को डी.ओ. व सीएमएचओ को जमा करवाया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.07.30 18:52:57 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या : 56/2024 FSSA

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर खुला **(RED CHILLI POWDER LOOSE)** का नमूना जॉच रिपोर्ट संख्या एल. एस. /439/एक्ट/2024/630 दिनांक 22.02.2024 के अनुसार **Regulation No. 2.3.14(15) FSS (Prohibitions and Restrictions on sale)** नियम 2011 का उल्लंघन **(Sold in loose condition)** पाया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर न्याय निर्णय आवेदन पत्र खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी अभियुक्त की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस./439/एक्ट/2024/630 दिनांक 22.02.2024 के अनुसार विक्रेता द्वारा विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर खुला **(RED CHILLI POWDER LOOSE)** का नमूना **Regulation No. 2.3.14(15) FSS (Prohibitions and Restrictions on sale)** नियम 2011 का उल्लंघन **(Sold in loose condition)** पाया गया है। विक्रेता ने लाल मिर्च पाउडर खुला **(RED CHILLI POWDER LOOSE)** का विक्रय कर एफ.एस.एस.ए. की धारा 26 की उप धारा (2)(V) का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना एफएसएसए 2006 की धारा 58 में वर्णित है। अतः अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि मेरे द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर खुला **(RED CHILLI POWDER LOOSE)** में किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं की गई है। मेरे द्वारा लाल मिर्च को पिसवाकर ग्राहको की आवश्यकतानुसार लाल मिर्च पाउडर खुला विक्रय किया जाता है। मेरे द्वारा ग्राहको की मांग के अनुसार खुला लाल मिर्च पाउडर का विक्रय किया है। मुझको यह मालूम नहीं था कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अनुसार लाल मिर्च पाउडर विक्रय करना वर्जित है। भविष्य में मेरे द्वारा खाद्य पदार्थ का खुले रूप में विक्रय नहीं किया जायेगा। मै. एक छोटा व्यापारी है, जो छोटी सी दुकान चलाकर अपने परिवार का जीवन–यापन करता हुं। प्रथम बार हुई गलती के लिये मुझ पर कम से कम जुर्माना लगाया जाकर प्रकरण का निस्तारण फरमावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस./439/एक्ट/2024/630 दिनांक 22.02.2024 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर खुला **(RED CHILLI POWDER LOOSE)** का नमूना **Regulation No. 2.3.14(15) FSS (Prohibitions and Restrictions on sale)** नियम 2011 का उल्लंघन **(Sold in loose condition)** पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त ने लाल मिर्च पाउडर खुला **(RED CHILLI POWDER LOOSE)** का विक्रय कर एफ.एस.एस.ए. की धारा 26 की उप धारा (2)(V) का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना एफएसएसए की धारा 58 में वर्णित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा लाल मिर्च पाउडर खुला **(RED CHILLI POWDER LOOSE)** का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने से अप्रार्थी अभियुक्त श्री अनुपम शर्मा पुत्र श्री प्रेम प्रकाश शर्मा मैसर्सः–श्री जी किराना स्टोर सरकारी स्कूल के सामने, मेन रोड भाण्डारेज दौसा जिला दौसा पर 2000/–(अक्षरे दो हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त राशि निर्णय दिनांक 18.06.2024 के एक माह के अन्दर–अन्दर खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निर्धारित **(Chief Medical & Health Officer Dausa)** के मद 0210–04–800–03–00 में जमा कराकर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 18.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुमित्रा पारीक)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

क्रमांक/FSSA/ 2024/ दिनांकः– 18.06.2024

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा
3. श्री अनुपम शर्मा पुत्र श्री प्रेम प्रकाश शर्मा मैसर्सः–श्री जी किराना स्टोर सरकारी स्कूल के सामने, मेन रोड भाण्डारेज दौसा जिला दौसा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.07.30 18:52:57 IST
Reason: SelfAttested

(सुमित्रा पारीक)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा